न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 093/2019

दायर दिनांक–01.10.2021

प्रहलाद सिंह पुत्र श्री मेघ सिंह जाति राजपूत निवासी भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

– वादी

– बनाम –

भूमिधारक (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

–प्रतिवादी

वकील वादीगण : श्री किशोर कुमार जांगिड़
वकील प्रतिवादी : राजपैरोकार

दावा बाबत दुरूस्ती रिकार्ड (नक्शा)
एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 31.08.2022

वादीगण ने एक वाद पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि वादीगण राजस्व ग्राम भरवाड़ी मे वादी की खातेदार काश्त की भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 1.38 हैक्टर स्थित है जिसमें अन्य किसी खातेदार का सीर–साझा नही है।

उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 126 के पुराने खसरा नम्बर 123 थे। वादी की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में से होकर कभी भी किसी प्रकार का कोई रास्ता कटान का अथवा प्रचलन का नही रहा। वादी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि हमेशा से वादी के काश्त के उपयोग में आती रही है तथा वादी खातेदार काश्तकार रहा है। उपरोक्त भूमि के किसी भाग को काश्त के अलावा अन्य किसी भी रूप से उपयोग मे नही लिया गया है ना ही उक्त भूमि के किसी भाग रास्ते के रूप में उपयोग में लिया गया।

वर्णित वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 126 के नक्शा शीट में पैमाईश के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने बिना कोई कारण के बिना मौके की जांच किए खातेदार वादी की सुनवाई का अवसर दिये बिना ही संलग्न नक्शा में दर्शित अनुसार ए से बी स्थान तक डॉटेड लाइने डाल दी जबकि पैमाईश से पूर्व के खसरा नम्बर 123 मे से होकर नक्शा सीट में कोई डॉटेड लाईन नही रही है उपरोक्त गलत रूप्प से डाली गई डॉटेड लाइनो को हटवाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने हेतु उक्त वाद सेवा मे पेश किया जा रहा है।

पैमाईश कर्मचारियों व अधिकारियों को पैमाईश के समय पूर्व के रिकार्ड की पुनरावृति करने मात्र का अधिकार था। किसी व्यक्ति की खातेदारी बदलने व नक्शा शीट में नई डालने व रिकार्ड में फेरबदल करने का कोई अधिकार नही था परन्तु पैमाईशी कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा बिना क्षैत्राधिकार के व विधी विरूद्ध मौके की स्थिति के [illegible] नक्शा शीट में वादी के खाते के नक्शे मे से डॉटेड लाइने डाल दी [illegible]

नक्शा शीट में वादी की [illegible] डॉटेड लाईने डालने से [illegible] द्वारा नाजायज रूप से वादी से ईर्ष्या रखने वाले लागो से मिलव[illegible] वादी के खेत मे से नया रास्[illegible] की कार्यवाही की जा रही है जो कि विधी के विपरीत है तथा वादी के वैध अधिकारो विपरीत है। उपरोक्त वर्णित अनुसार वादी की खातेदारी हक अधिकारो की भूमि मे से पैमाईशी कर्मचारी अधिकारियों द्वारा विधि विरूद्ध व मौके की स्थिति के विपरीत डाली गई डॉटेड लाइनों से होकर यादी कोई रास्ता खोला

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:24:52 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

जाता है तो वादी की कृषि भूमि विभाजित हो जायेगी कृषि योग्य नही रहेगी तथा वादी को अपनी खातेदारी बैध अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा। किसी भी खातेदार काश्तकार की कृषि भूमि के नक्शे में डॉटेड लाईने डाली जाने के लिए मौके पर रास्ते की मौजुदगी व खातेदार की सहमति आवश्यक है। पैमाईश कर्मचारियों द्वारा बिना कोई कारण के बिना कोई कानून के एवं बिना क्षैत्राधिकार के रास्ते की डॉटेड लाईन डालना दुरूस्त करने योग्य है।

वादी हेतु वाद कारण वादी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि की नक्शा शीट की नकल दिनांक 03.07.2018 को लेने पर अपनी खातेदारी कृषि भूमि के नक्शा में से डॉटेड लाईने दर्ज होने तथा तहसीलदार साहब द्वारा पटवारी को मोके पर भेजकर जबरदस्ती नया रास्ता डालने की धमकी देने के रोज माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में पैदा हुआ।

वादी ने अपने वाद–पत्र के अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि वाद बहस वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम भरवाडी मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 126 की वर्तमान नक्शा शीट मे पूर्व पैमाईश से पूर्व की नक्शा शीट के विपरीत डाली गई डॉटेड लाइनो को हटाकर पुरानी नक्शा शीट के अनुसार ही नये खसरा नम्बर 126 का नक्शा दुरूस्त किया जावे। तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण की कृषि भूमि में से कोई रास्ता नही निकाले। अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो तथा वादी के पक्ष में पड़ती हो वह भी दिलवाई जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत करने पर वाद बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी की ओर से राज पैरोकार उपस्थित। तहसीलदार नवलगढ से मोके एवं आये तथा जवाब दावा पेश किया कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 1.36 हैक्टर की खातेदारी प्रहलाद सिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में राजस्व रिकार्ड नक्शा मे खसरा नम्बर 126 में डबल डॉटेड (====) का रास्ता दर्शित है। परन्तु वर्तमान में उक्त भूमि खसरा नम्बर126 में डबल डॉटेड (=====) का रास्ता बंद है। उक्त खसरा नम्बर में खातेदार आवासीय मकान बनाकर आबाद है।

जवाब देही पेश होने पर शहादत वादी ली गई। शहादत वादी में वादी स्वयं प्रहलाद सिंह पुत्र मेघसिंह उपस्थित होकर मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किया तथा वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन मे दस्तावेजात् प्रदर्श–1ए ग्राम भरवाडी जमाबंदी सम्वत 2075–2078, प्रदर्श–2 नक्शा शीट सम्वत् 1952–1953, प्रदर्श–3 मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 1985, प्रदर्श–4 नक्शा शीट सम्वत् 1979–1980, प्रदर्श–5 वर्तमान नक्शा ट्रेश, प्रदर्श–6 तहसीलदार व पटवारी हल्का की रिपोर्ट, प्रदर्श–7 निर्णय तहसीलदार आदि प्रदर्शित करवाये गये।

शहादत वादी पेश होने बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा वाद वादी स्वीकार का रिकार्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया गया। बहस वकील वादी का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि [illegible] वादी की खातेदार काश्त की भूमि है जो प्रदर्श–1ए जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 से प्रमा[illegible]। विवादग्रस्त खसरा नम्बर 126 के पुराने खसरा नम्बर 123 थे जो प्रदर्श–3 मिलान [illegible] साबित होता है। वादी की विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 126 [illegible] होकर पुरानी नक्शा शीट के अनुसर कभी भी किसी प्रकार का कोई रास्ता कटान का अथवा [illegible]लन का नही रहा जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श–4 प्रमाणित होता है। विवादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी भूमि में कब्जे काश्त के उपयोग में आती रही है तथा वादी खातेदार काश्तकार रहा है। उपरोक्त भूमि के किसी भाग को काश्त के अलावा अन्य किसी भी रूप से उपयोग में नही लिया गया है ना ही उक्त भूमि के किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:24:52 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रै.)
नवलगढ

भाग रास्ते के रूप में उपयोग में लिया गया। वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 126 के नक्शा शीट में पैमाईश के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने बिना कोई कारण के बिना मौके की जांच किए बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के संलग्न नक्शा में दर्शित अनुसार ए से बी स्थान तक डॉटेड लाइने डाल दी जबकि पैमाईश से पूर्व के खसरा नम्बर 123 मे से होकर नक्शा सीट में कोई डॉटेड लाईन नही रही है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा अपनी रिपोर्ट में विवादग्रस्त भूमि में वर्तमान में कोई रास्ता चालू एवं प्रचलन में नही होना वर्णित किया गया है तथा प्रदर्श–7 तहसीलदार नवलगढ़ के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के निर्णय दिनांक 22.11.2021 में भी उक्त विवादग्रस्त भूमि ग्राम भरवाडी के खसरा नम्बर 126 में रास्ता नही होना अंकित किया गया है। पैमाईश कर्मचारियों व अधिकारियों को पैमाईश के समय पूर्व के रिकार्ड की पुनरावृति करने मात्र का अधिकार था। किसी व्यक्ति की खातेदारी बदलने व नक्शा शीट में नई डालने व रिकार्ड में फेरबदल करने का कोई अधिकार नही था परन्तु पैमाईश के दौरान राजस्व कार्मिकों द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के व विधी विरूद्ध मौके की स्थिति के विपरित संलग्न नक्शा शीट में वादी के खाते के नक्शे मे से डॅाटेड लाइने डाल दी जो उचित नही है। गलत रूप से डाली गई डॉटेड लाइनो को दुरूस्त कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाना उचित प्रतीत होता है। यदि वादी के खेत में से नया रास्ता डाल दिया जाता है तो वह विधी के विपरीत तथा वादी के वैध अधिकारो के विपरीत होगा। वादी की खातेदारी हक अधिकारो की भूमि मे से पैमाईशी कर्मचारी अधिकारियों द्वारा विधि विरूद्ध व मौके की स्थिति के विपरीत डाली गई डॅाटेड लाइनों से होकर यदि कोई रास्ता खोला जाता है तो वादी की कृषि भूमि विभाजित हो जायेगी कृषि योग्य नही रहेगी तथा वादी को अपनी खातेदारी वैध अधिकारों से महरूम होगा। किसी भी खातेदार काश्तकार की कृषि भूमि के नक्शे में डॉटेड लाईने डाली जाने के लिए मौके पर रास्ते की मौजुदगी व खातेदार की सहमति आवश्यक है। वादी अपने खातेदारी की भूमि में पूर्ववर्ती रिकार्ड अनुसार रिकार्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वादी द्वारा वाद–पत्र मे प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से वाद वादी पूर्णतया साबित पाया जाने पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। फलवरूप वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

उपरोक्त विवेचना एवं दस्तावेजी साक्ष्य पूर्णतया साबित पाये जाने पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम भरवाडी मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 126 की वर्तमान नक्शा शीट मे पूर्व पैमाईश से पूर्व की नक्शा शीट के विपरीत डाली गई डॉटेड लाइनो को हटाकर पुरानी नक्शा शीट के अनुसार ही नये खसरा नम्बर 126 का नक्शा दुरूस्त करने का तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की कृषि भूमि में से कोई रास्ता नही निकाले तथा वादी के कब्जे काश्त की भूमि मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा/उत्पन्न नही करें। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/तरमीम करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील [illegible] दाखिल [illegible] हो। निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:24:52 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. (ई. एम.) (फा. ट्रे.)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ़

दावा बाबत दुरूस्ती रिकार्ड (नक्शा)
एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 093/2019 **(प्रहलाद सिंह बनाम तहसीलदार नवलगढ)**

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.08.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम ग्राम भरवाडी मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 126 की वर्तमान नक्शा शीट मे पूर्व पैमाईश से पूर्व की नक्शा शीट के विपरीत डाली गई डॉटेड लाइनो को हटाकर पुरानी नक्शा शीट के अनुसार ही नये खसरा नम्बर 126 का नक्शा दुरूस्त करने का तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण की कृषि भूमि में से कोई रास्ता नही निकाले तथा वादी के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा/उत्पन्न नही करें। तहसीलदार नवलगढ मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद/तरमीम करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.08.2022 को जारी की गई।

ए.सी.ईएम. (फास्ट ट्रे.)
ए.सी.ईएम.(फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	14.00		0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 14:24:52 IST
Reason: SelfAttested